

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या— 750 / XXVII—9—2010 / स्टाम्प—09 / 2009—RTI
देहरादून: दिनांक: 28 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या—22 वर्ष, 2005) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की लोक प्राधिकारी ईकाइयों में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नामांकन से संबंधित अधिसूचना संख्या—06 / XXVII(9) / स्टाम्प / 2007 दिनांक 05 जनवरी, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित उप—निबन्धक कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं तत्संबंधी कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ निबन्धन लिपिक को सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यालय स्तर

लोक प्राधिकारी ईकाई	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	सहायक लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	अपीलेंट अधिकारी	दूरभाष नं०
महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून	1. उप—निबन्धक मुख्यालय	0135—2762506	मुख्य निबन्धन लिपिक, मुख्यालय	0135—2762506	अपर महानिरीक्षक निबन्धन	0135—2762506

जिला स्तर

लोक प्राधिकारी ईकाई	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	सहायक लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	अपीलेंट अधिकारी	दूरभाष नं०
कार्यालय उप—निबन्धक देहरादून	2. उप—निबन्धक प्रथम	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक देहरादून—I	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893
	3. उप—निबन्धक द्वितीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक देहरादून-II	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893
	4. उप—निबन्धक तृतीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक देहरादून-III	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893
	5. उप—निबन्धक चतुर्थ	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893

			उप—निबन्धक देहरादून—IV			
	6. उप—निबन्धक विकासनगर प्रथम	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक विकासनगर प्रथम	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893
	7. उप—निबन्धक विकासनगर द्वितीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक विकासनगर द्वितीय	—	जिला निबन्धक देहरादून	2628893
कार्यालय उप—निबन्धक हरिद्वार	8. उप—निबन्धक हरिद्वार—प्रथम	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक हरिद्वार—प्रथम	—	जिला निबन्धक हरिद्वार	239554
	9. उप—निबन्धक हरिद्वार—द्वितीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक हरिद्वार—द्वितीय	—	जिला निबन्धक हरिद्वार	239554
	10. उप—निबन्धक रुड़की—प्रथम	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक रुड़की— प्रथम	—	जिला निबन्धक हरिद्वार	239554
	11. उप—निबन्धक रुड़की—द्वितीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक रुड़की— द्वितीय	—	जिला निबन्धक हरिद्वार	239554
कार्यालय उप—निबन्धक ऊधमसिंह नगर	12. उप—निबन्धक जसपुर	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक जसपुर	—	जिला निबन्धक ऊधमसिंह नगर	242087
कार्यालय उप—निबन्धक नैनीताल	13. उप—निबन्धक हल्द्वानी—प्रथम	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक हल्द्वानी—प्रथम	—	जिला निबन्धक नैनीताल	235766
	14. उप—निबन्धक हल्द्वानी—द्वितीय	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय उप—निबन्धक हल्द्वानी—द्वितीय	—	जिला निबन्धक नैनीताल	235766

2. प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निर्वहन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट माना जायेगा।

3. उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पुणरुप से जिम्मेदार होगें एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देया नहीं होगें।

शासन की संदर्भगत अधिसूचना संख्या-06 / XXVII(9) / स्टाम्प / 2007 दिनांक 05.01.2007 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

भवदीय,

(राधा रत्नड़ी)
सचिव |

पत्रांक : 750(1) / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प-09 / 2009-RTI तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगतण, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव सूचना उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. उपरोक्त समस्त नामित प्राधिकारी।
10. निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विकास ऐजेंसी, बसन्त विहार, देहरादून।
11. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 200 प्रतियां प्रकाशित कराते हुये वित्त अनुभाग-9 में उपलब्ध करा दें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रत्नड़ी)
सचिव वित्त।